

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांक:-3663/ 33-1 ,दिनांक, महोबा, मई 05, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
उ०प्र०, बाँदा।

विषय:- उ०प्र० जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया-नाथूपुरा, लहचुरा-काशीपुरा, धवरा-सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला-महोबा में प्रभावित 12.4869 हे० संरक्षित एवं 1.9665 हे० आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-2857/11-सी-FP/UP/water/150368/2021, दिनांक 08.04.2022

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में 12 बिन्दुओं पर मांगी गयी कमियाँ/अभिलेखों के निस्तारण हेतु आख्या निम्नानुसार आपको 4 प्रतियों में प्रेषित है-

बिन्दु संख्या	कमियों का उल्लेख	कमियों का निराकरण
1.	प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
2.	प्रस्ताव में परियोजना में प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि का लीज अवधि प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न है।
3.	परियोजना में प्रभावित होने वाली आरक्षित वनभूमि के बदले प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का वन विभाग को उपलब्ध कराने की वचनबद्धता एवं सत्यापित खतौनी संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
4.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष दी जाने वाली गैर वनभूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-वी०आई०पी०-23/14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28.06.2019 के क्रम में उपजिलाधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है।	संलग्न है।
5.	प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के पत्रांक-1428/11-सी, दिनांक 16.12.2020 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का DSS Analysis से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र, जो वन संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न है।
6.	प्रस्ताव में एन०पी०वी० की गणना संलग्न है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 06.01.2022 द्वारा निर्गत संशोधित एन०पी०वी० के आदेश के पैरा-4 (viii) में उल्लिखित बिन्दुओं का परीक्षण कर एन०पी०वी० देयता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।	संलग्न है।

बिन्दु संख्या	कमियों का उल्लेख	कमियों का निराकरण
7.	भू-स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न है।
8.	प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-18 पर वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तावित वनभूमि की वैधानिक स्थिति गलत अंकित है। अतः प्रमाण पत्र में सही वैधानिक स्थिति अंकित कर संशोधित वचनबद्धता प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें एवं पूर्व का ऑनलाइन भाग-2 से डिलिट करें।	अनुपालन किया गया।
9.	प्रस्ताव में विजय सागर पक्षी बिहार का इको सेंसिटिव जोन का गजट संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न है।
10.	ऑनलाइन भाग-2 व हार्डकापी भाग-2 के District Profile में स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या व अन्य विवरण भिन्न-2 फीड है। अतः एक समान विवरण फीड करें।	अनुपालन किया गया।
11.	प्रभावित 1.9665 हे० आरक्षित वनभूमि के सापेक्ष प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी जा रही समतुल्य गैर वनभूमि का Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, kml file, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न नहीं है। अतः संलग्न कर अवनत वनभूमि एवं समतुल्य गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित Geo Referenced Digital Map, SoI Toposheet, kml file, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन एवं साथ अपलोड करें।	संलग्न है।
12.	प्रस्ताव के साथ पेनड्राइव में प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों की के०एम०एल० फाइल एवं पूर्ण प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल अपलोड कर संलग्न नहीं है। अतः उपरोक्त इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् संशोधित प्रस्ताव की पी०डी०एफ० फाइल एवं प्रस्तावित एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थलों की के०एम०एल० फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर तीनों प्रस्ताव में संलग्न करें।	अनुपालन किया गया।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

भवदीय,
(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या _____ / अ / सम् दिनांक।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय कुमार मल्ल)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।